

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 23 DEC 2011

क्रमांक एफ-2-59/सात-2/2011 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.11.11 द्वारा तहसीलदार तहसील सोनहत जिला कोरिया को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तक भाग-1, सेक्शन-1, सरल क्रमांक-3 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तहसीलदार तहसील सोनहत जिला कोरिया को कार्यालय प्रमुख घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( भगवान सिंह कुशवाह )

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ-2-59/सात-2/2011

रायपुर, दिनांक 23 DEC 2011

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर
  2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर
  3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ४०००, रायपुर की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि तहसील सोनहत जिला-कोरिया के पक्ष में प्राधिकार पत्र एवं कोड नं० तत्काल जारी करने का कष्ट करें।
  4. कलेक्टर, जिला-कोरिया की ओर उनके पत्र क्रमांक ९६७२/स्थापना/२०११, दिनांक ०८.०६.११ के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  5. कोपालय अधिकारी, जिला-कोरिया
  6. संचालक, एन.आई.सी., मंत्रालय रायपुर को राजस्व की बेबसाइट <http://iicg.nic.in/revenue> में अपलोड करने हेतु प्रषित।
  7. आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

